

आदेश

बिहार पुलिस के क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग के कई कर्मी बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के पदों के विरुद्ध पदस्थापित है। समीक्षापरांत पाया गया कि इस तरह का पदस्थापन अनियमित है। ऐसे सभी मामलों में केन्द्रीय स्थापना समिति की दिनांक-18.10.2019 एवं बाद की तिथियों को आहूत बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त चिन्हित निम्नांकित क्षेत्रीय लिपिकों के सेवाभिलेख की समीक्षा के उपरान्त की गई अनुशंसा के आलोक में इनका स्थानान्तरण करते हुए इनके नाम के सामने कंडिका-5 में अंकित जिला/वाहिनी/इकाई में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	नाम/पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	समिति के निर्णयानुसार नवपदस्थापन जिला/इकाई/वाहिनी
1	2	3	4	5
1	नीरज कुमार/ लेखा उत्तीर्ण लिपिक	सारण	आर्थिक अपराध इकाई	बिहार सैन्य पुलिस-11, जमुई
2	दीनबन्धु कुमार/ लेखा उत्तीर्ण लिपिक	पटना	आर्थिक अपराध इकाई	बिहार सैन्य पुलिस-04, डुमराँव
3	मो० शमशेर आलम/ लिपिक	पटना	आर्थिक अपराध इकाई	बिहार सैन्य पुलिस-12 सहरसा कैम्प कटिहार
4	सत्यप्रकाश सिंह/ लेखा उत्तीर्ण लिपिक	पटना	पुलिस मुख्यालय	पटना
5	सुनीता कुमारी/ लिपिक	भागलपुर	पुलिस मुख्यालय	भोजपुर
6	नूतन कुमारी/ लिपिक	जहानाबाद	पुलिस मुख्यालय	सारण
7	रंजन कुमार/ लिपिक	पटना	पुलिस मुख्यालय	रेल पटना

उपर्युक्त स्थानान्तरित कर्मियों को दिनांक-11.11.2019 तक स्थानान्तरित जिला/वाहिनी/इकाई में योगदान देने हेतु विरमित/भौतिक रूप से अवश्य प्रस्थान करावें एवं अनुपालन प्रतिवेदन ससमय पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को भेजें।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

has 1.11.19.

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना

ज्ञापांक.....42...../पी05

13-06-01-2016

पुलिस महानिदेशक के कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 06/11/2019

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस/अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई एवं रेल बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक (केन्द्रीय क्षेत्र पटना)/पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद/सारण/रेल/केन्द्रीय मंडल/उत्तरी मंडल बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक)/मानवाधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)/(क्यू0)/(निरीक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक (रेल/ईकाई सहित)/सभी समादेष्टा/सभी प्राचार्य, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. सहायक निदेशक (स्थापना)/प्रशाखा पदाधिकारी, पी0-1(स्था0)/पी0-3/लेखा/वित्त/एल0-1 प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

has 1.11.19

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय).